HAPUR POLICE

UTTAR PRADESH 112 EMERGENCY

OPERATION CONVICTION

हापुड़ पुलिस द्वारा मा0 न्यायालय में प्रभावी, सशक्त पैरवी करते हुए सनसनीखेज लखन हत्याकाण्ड़ के 03 हत्यारोपियों को आजीवन कारावास व 1,00000-1,00000/- रुपये (कुल 03 लाख रुपये) के अर्थदण्ड से दंडित कराया गया।

पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 महोदय द्वारा चलाये जा रहे "ऑपरेशन कन्विक्शन" अभियान के अन्तर्गत आरोपियों को न्यूनतम समय में सजा दिलाए जाने के क्रम में हापुड़ पुलिस द्वारा गुणवत्तापूर्ण विवेचना तथा अभियोजन व मॉनीटरिंग सेल द्वारा प्रभावी पैरवी करते हुए आज दिनांक 18.09.2025 को मा0 न्यायालय द्वारा "सनसनीखेज लखन हत्याकाण्ड़" के 03 हत्यारोपियों को दंडित कराया गया है, जिसका विवरण निम्नवत् है-

- दिनांक 16.08.2022 को अभियुक्तगण 1. सुनील चचूड़ा पुत्र राजे निवासी ग्राम चचूड़ा थाना दनकौर जनपद गौतमबुद्धनगर, 2. वीरु उर्फ वीरपाल पुत्र प्रकाश व 3. पप्पन उर्फ संजय पुत्र धर्मपाल निवासीगण ग्राम अड़गंपुर थाना सुरजकुण्ड़ जनपद फरीदाबाद (हरियाणा) द्वारा मा0 न्यायालय हापुड़ मे पेशी पर आते समय कचहरी परिसर के बहार लखन की हत्या करने की दुस्साहसिक घटना कारित की गयी थी, जिसके सम्बन्ध में थाना हापुड़ नगर पर मु0अ0सं0 690/2022 धारा 147, 148, 149, 302, 307, 120बी, 34 भादवि पंजीकृत किया गया था तथा दिनांक 18.01.2023 को आरोप पत्र मा0 न्यायालय प्रेषित किया गया।
- मॉनिटरिंग सैल हापुड़ द्वारा मा0 न्यायालय में सशक्त, प्रभावी पैरवी कर अभियोजन की कार्यवाही सम्पन्न कराई गई, जिसके परिणामस्वरूप आज दिनांक 18.09.2025 को अभियुक्तगण उपरोक्त को मा0 न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रथम हापुड़ द्वारा आजीवन कारावास व 1,00000-1,00000/- रुपये के अर्थदण्ड की सजा सुनाई गई।
- अभियोजन विभाग से श्री नरेश चन्द्र शर्मा (शासकीय अधिवक्ता) व विवेचक निरीक्षक श्री संजय पाण्डेय एवं पैरोकार म0है0का0 मधु व कोर्ट मोहर्रिर म0है0का0 अन्जू का विशेष योगदान रहा।